उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1,

संख्या-38/2016/1902/92-1-16-01आर.ई.एस./2003,

लखनऊ: दिनांक: 28 जून: 2016

नियुक्ति/विज्ञप्ति

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2008 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पद पर चयनित श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नवाब सिंह को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में सहायक अभियन्ता (समूह-'ख') के पद पर वेतनमान रू0-8000-13500 (संशोधित वेतन संरचना में पे बैण्ड-3 सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान रू0-15600-39100, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0-5400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हुए, 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जो नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है) पर रखे जाने तथा उनकी तैनाती ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बागपत में किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3- सम्बन्धित अभ्यर्थी कार्य-भार ग्रहण करने से पूर्व उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 (3) के अन्तर्गत अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण सहित घोषणा-पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- सम्बन्धित अभ्यर्थी कार्य-भार ग्रहण करने से पूर्व उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-29 के अन्तर्गत इस आशय का घोषणा-पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे कि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉ नहीं हैं।

5- सम्बन्धित अभ्यर्थी आदेश की प्रति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर तैनाती के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण कर लें। यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्ति-युक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

6- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अलग से निर्गत की जायेगी।

7- इस आदेश के निर्गमन के पश्चात यदि शासन के संज्ञान में आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में यदि अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्बन्धित अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

8- तैनाती के जनपद तक जाने/पहुँचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-38/2016/1902(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या-78(2)/01/ई-3/2009- 10, दिनांक 09-05-2014 के क्रम में। **(रजिस्टर्ड)**
3- कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- सम्बनिधत अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ। **(रजिस्टर्ड)**
11- श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नवाब सिंह, ग्राम व पोस्ट-कैड़ी, तहसील-शामली, जनपद-शामली (मुजफ्फरनगर), उ0प्र0-251305 **(रजिस्टर्ड)**
12- गार्ड फाईल/व्यक्तिगत पत्रावली।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in